

विधान सभा अतारकित प्रश्न क्रमांक- 1249 द्वारा डॉ० कैलाश जाटव संबंधी जानकारी
मुख्य खनिज की प्राप्त रायल्टी राशि की जानकारी

क्र०	जिला	मुख्य खनिज का नाम	वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त रायल्टी राशि (राशि रुपये में)
01	नरसिंहपुर	डोलोमाइट	7,74,220=00
02		सोपस्टोन	2,84,974=00
		योग-	10,59,194=00

टीप- खान मंत्रालय, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक- 10 फरवरी 2015 के माध्यम से केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना द्वारा पहले से ही खनिज घोषित खनिजों के अतिरिक्त 31 खनिजों को इससे पूर्व उक्त खंड के अधीन गौण खनिज घोषित किया गया है, जिनमें खनिज डोलोमाइट एवं सोपस्टोन भी शामिल है तथा नरसिंहपुर जिले की गोटगांव तहसील क्षेत्रांतर्गत डोलोमाइट एवं सोपस्टोन के खनिज पट्टे स्वीकृत है।

गौण खनिज की प्राप्त रायल्टी राशि की जानकारी

क्र०	जिला	गौण खनिज का नाम	वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त रायल्टी राशि (राशि रुपये में)
01	नरसिंहपुर	पत्थर	76,91,626=00
02		रेत	38,48,383=00
		योग	1,15,40,009=00

अनुमान अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज संपन्न विभाग

9/02/19
सहायक खनिज अधिकारी,
(प्रभारी अधिकारी)
जिला-नरसिंहपुर